


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ
05/08/2020 सुनीता XXXXXX	<p>प्राथिया ने प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई। प्राथिया ने अपने प्रार्थना पत्र पेश कर अपना वाद खारिज करा लिया है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तगति धारा 212 रा. का. अधि. भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फुल्ल शुमार होकर नम्बर ले कम है तथा वाद तर्कमूल संलग्न वाद है।</p> <p> 05/08/2020.</p> <p>उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)</p> 